परिशिष्ठ–ग

अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका।

---

1. **अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना :–** राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 10,000/–(दस हजार) रुपया दिया जाता रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2017–18 से बढ़ाकर 25,000/–(पचीस हजार) रुपया किया जायेगा।

2. (i) **मुस्लिम परित्यक्ता महिला** :– ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी हो परन्तु उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से परित्याग कर दिया गया हो तथा उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो, अथवा पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरन–पोषण करने में अक्षम हो, ऐसी महिला को योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला समझा जाएगा।

   (ii) **मुस्लिम तलाकशुदा महिला** :– ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो तथा उनके जीवनयापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो ऐसी महिला इस योजनान्तर्गत तलाकशुदा समझी जाएगी।

3. **आवेदन हेतु अनिवार्य दास्तावेज** :–आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करने होगें।

   (क) **घोषणा पत्र** :– आवेदिका द्वारा स्थानीय दो गवाहों, जो करीबी रिश्ते में ना हों, के समक्ष किया गया इस आशय का घोषणा–पत्र। जिसमें गवाहों का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 स्पष्ट रूप से अंकित हो।

   (ख) **अनुशंसा पत्र/प्रमाण पत्र** :– परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदिका द्वारा निम्न में से किसी एक के द्वारा निर्गत किया गया परित्यक्ता/तलाकशुदा होने के आशय का अनुशंसा पत्र अथवा प्रमाण पत्र।

      i. जनप्रतिनिधि :– मुखिया/सरपंच/नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत से संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि/प्रखंड प्रमुख/पंचायत समिति के सदस्य/विधान मंडल के सदस्य अथवा सांसद।

      ii. न्यायालय सरकारी संस्था/कार्यालय/पदाधिकारी :– परिवार न्यायालय/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ अनुदानित मदरसा के हेड मोदर्रिस/सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाध्यापक/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी।

      iii. राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित मुस्लिम समुदाय की मानक/निबंधित संस्थान/जिला औकाफ कमिटी के सचिव/निबंधित वक्फ के मोतवल्ली।

   (ग) **आयु प्रमाण पत्र** :– आवेदन देने वाली महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष की होगी। आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो/मतदाता प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट/कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र।

(घ) **आय प्रमाण पत्र** : मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाऐं जिनकी वार्षिक आय सभी श्रोतों से 4,00,000/–(चाल लाख) रुपये से कम हो। अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।

(च) पति के मानसिक विकलांगता के मामलों में जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(छ) आवेदन पत्र के साथ अद्यतन पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो स्वंय अभिप्रमाणित हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. **योजना का क्रियान्वयन** :– यह योजना बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। बोर्ड द्वारा दैनिक हिन्दी एवं उर्दू के समाचार पत्रों में इस योजना के आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशिकत कराये जायेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों की आवश्यक जाँच करवा कर संकलित सूची मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजेंगे। विभागीय स्तर पर गठित चयन समिति अनुदान देने पर विचार करेगी जिसके फलाफल के आधार पर वक्फ बोर्ड कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। मार्गनिर्देशिका में किसी प्रकार की शंका का समाधान का प्राधिकार इसी चयन कमिटी को होगा।

5. **अल्पसंख्यक गरीब मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा की सत्यता की जाँच** :– मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा से संबंधित जाँच एक महीने में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से करायी जाएगी। कुल आवेदनों में से कम से कम 10% आवेदनों की जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

6. **अन्य पात्रता का मापदण्ड** :–

(i) बेवा/मुस्मात महिला इस योजना के पात्र नहीं होगी।

(ii) इस योजना का लाभ जीवन काल में केवल एक बार ही मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी द्वारा आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य होगा।

7. इस योजना में उपलब्ध करायी गयी निधि के विरूद्ध अर्जित ब्याज की राशि से इस योजना संबंधित प्रशासनिक व्यय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को होगा।

8. मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाऐं विहित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी।

9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की प्रविष्टि एक पंजी में कर लेंगे जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से होगा :–

क्र.	आवेदिका का नाम	उम्र	पिता/माता का नाम	आवेदिका का पता	परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा	अनुशंसा/प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी/संस्था का नाम	स्वघोषणा पत्र/दिनांक	आधार सं0	मोबाईल न0	बैंक का नाम	खाता संख्या (स्वंय का)	बैंक ब्रांच का IFSC कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. आवेदन पत्रों के साथ स्वंय का बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की छायाप्रति (आई0एफ0एस0सी0कोड) के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. लाभुकों को एन0आई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैंक खाता में राशि आंतरित की जाएगी।

12. इस योजना का लाभ संकल्प की निर्गत तिथि से पूर्व से लंबित आवेदनकर्ताओं जिनको अनुदान–राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है, को भी प्राप्त होगा।

13. लाभुकों का नाम एवं पता विभागीय वेबसाईट एवं उर्दू/हिन्दी के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

विशेष सचिव–सह–निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना